NEWS LETTER

October 2018 - October 2019

Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur

Justice Ajay Kumar Mittal
CHIEF JUSTICE

191, South Civil Lines,
JABALPUR - 482 001
Tel. (O) 2626443
(R) 2678855
2626746
Fax 0761-2678833

27.11.2019

Message

"We are not to simply bandage the wounds of victims beneath the wheels of injustice; we are to drive a spoke into the wheel itself."

– Dietrich Bonhoeffer

The above said is the aim of Madhya Pradesh State Legal Service Authority, and I am happy to express that MPSLSA is striving at its best to provide fair and meaningful justice to every strata of the society.

Free and competent legal services have been incorporated in the legal system, to make justice accessible to the marginal section of the society. But due to illiteracy, ignorance or unawareness, a large section of our society, particularly those who live in remote rural areas, still remain deprived of the advantages of such welfare legislations and schemes. Lack of information and knowledge very often leads to deprivation of statutory entitlements and schematic benefits.

For making the aforesaid mission successful and in ensuring access to justice for all, the MP State Legal Services Authority is also working hard in implementing various strategic and preventive legal aid schemes introduced by NALSA to extend the benefits of the welfare enactments and social security schemes to the persons who are deprived of justice and a dignified life.

This Newsletter is a step in the direction of spreading awareness of activities taken up in the course of the past few months.

(Ajay Kumar Mittal)
CHIEF JUSTICE

Justice Sanjay Yadav
Administrative Judge,
High Court of Madhya Pradesh
Executive Chairman,
M.P. State Legal Services Authority
574, Sourth Civil Lines, JABALPUR - 482 001 (M.P.)

Bunglow No. A-5
Judges Enclave, Dumna Road
Behind Rani Durgawati Vishwavidyalay
JABALPUR (M.P.) - 482001
: 0761-2678014, 2626983 (O)
: 0761-2601433, 2600619 (R)

Message

To provide Legal services to the marginalized society cannot be a static process, it has to be dynamically evolving one so that it can respond to the specific needs of the community which is unable to afford legal representation and access to the court system. We have to continuously strive to improve ourselves, learn from each other and make efforts to reach out to the last person in the queue. I am immeasurably satisfied that under the able leadership and guidance of National Legal Services Authority, New Delhi, MPSLSA is striving hard to render services to the weaker section of the society. It takes several initiatives to reach out to every section of the society that is vulnerable such as SC/ST, Women, Industrial Laborers, and Children etc. i ensure that no stones would be left unturned by MP State Legal Services Authority in fulfilling its objectives.

I hope that this bulletin would facilitate and further the efforts made by all in this regard and would also act as a continuous motivation and encouragement for each one of us as it gives an opportunity to every District Legal Services Authority to showcase the good work done by it.

(Sanjay Yadav)

From the Editor's Pen...

I am delighted to bring forth the first newsletter of this year. In an age of information submergence, there is an increasing need to organise and share best practices for the cause of the stakeholders whom the legal services institutions represent. The Newsletter is a humble endeavour in this direction.

In view of milestones achieved by DLSAs across the State, this Newsletter aspires to be vibrant, engaging and accessible, and at the same time integrative and challenging.

The language used is a sprinkle both of Hindi and English to give a choice to readers. Needless to say, any information or feedback from the esteemed readers would be much appreciated and will make a substantial contribution to the development and success of future Newsletters.

Best wishes and thank you in advance.

Giribala Singh
Member Secretary,

Target Oriented Programme

Empowering People Through Legal Awareness & Free Artificial Limbs Medical Camp

"Divyangta se sachalta ki ore" Date : 26-30 March 2019

A physical disability is a limitation on a person's physical functioning, mobility, dexterity or stamina. Other physical disabilities include impairments which limit other facets of daily living. Disability in mobility can be either an in-born or acquired with age or decease.

Stigma Faced By Disabled

Disabled persons face discrimination in every sphere of life. The Legal Services Institutions empowers them through spreading awareness among the public for treatment at par with other citizens under The Rights of Persons with Disabilities Act 2016, Mental Health Care Act 2017 and National Trust Act 1989.

Inauguration of Legal Awareness & Free Artificial Limb Medical Camp by Hon'ble the Chief Justice Shri S.K. Seth

To fulfill the above objective a three day camp extended to five days was organized as a joint venture in coordination with High Court of Madhya Pradesh, SLSA, DLSA, Bhagwan Mahavir Viklaang Sahayta Samiti (Jaipur Foot), Netaji Subhash Chandra Bose Medical College inaugurated by Hon'ble the then Chief Justice Shri S.K. Seth and with the motivation of Hon'ble Shri Justice Ajit Singh & Hon'ble Shri Justice Sujoy Paul. Presently a Permanent Artificial Limb Centre has been setup and the beneficiaries till date are as follows:-

1. Divyangjan benefited- 1945
2. Artificial Legs- 371
3. Calipers- 171
4. Artificial Hands- 108
5. Hearing Aids- 503
6. Tricycles- 352
7. Wheelchairs- 261
8. Crutches- 223
9. Sticks & other equipments- 16

Give me a Place
to Stand
&
I shall
move the Earth!

ग्वालियर व्यापार मेला २०१९ में विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी का आयोजन

ग्वालियर जिले में विगत 100 वर्षो से प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले ग्वालियर व्यापार मेला आयोजित किया गया। इस मेले की ख्याति संपूर्ण भारत स्तर पर अलग पहचान रखती है। इसी क्रम में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला ग्वालियर में गत वर्ष की भाँति ग्वालियर व्यापार मेला में माह जनवरी एवं फरवरी 2019 में प्रदर्शनी सेक्टर में विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई ।

ग्वालियर मेले में विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव एवं अन्य न्यायमूर्तिगण

उक्त विभागीय प्रदर्शनी का शुभारंभ मान0 न्यायाधिपति श्री संजय यादव, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, श्री शील नागू, मान0 न्यायाधिपति, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर एवं अन्य मान0 न्यायाधिपतिगण, श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महो0, जिला न्यायालय ग्वालियर के मान0 न्यायाधीशगण, सचिव जिविसेप्रा0, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेन्टियर एवं आमजन की उपस्थिति में किया गया ।

प्रदर्शनी में पृथक से एक हाल बनाया गया जिसमें आगुन्तकों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई तथा उसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से नालसा द्वारा प्रदत्त डाक्यूमेंट्री, सूक्ष्म फिल्में, संकल्प गीतों एवं विभागीय योजनाओं को प्रदर्शित किया गया ।

साथ ही विभागीय मेले के दौरान न्यायाधीशों के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित की जारी रही विभागीय योजनाओ, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओ एवं आमजन से संबंधित विविध कानूनों से परिचित कराया गया।

ग्वालियर व्यापार मेला २०१९ में विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी का आयोजन

उक्त मेले के दौरान प्रदर्शनी में उपस्थित होने वाले सैलानियो एवं विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से 11589 महिला, पुरूषों को जागरूक एवं लाभान्वित किया गया। प्रदर्शनी में एक लीगल एड क्लीनिक भी स्थापित किया गया।

इसके अतिरिक्त ग्वालियर व्यापार मेला के दौरान मेला परिसर के विभिन्न–विभिन्न छत्रियो एवं सार्वजनिक स्थानों पर 12 नुक्कड नाटकों (नाटक रंगमंच के कलाकारों के माध्यम से) का आयोजन किया गया। जिसमें कलाकारों द्वारा भिन्न–भिन्न पात्रों के माध्यम से दर्शको को विधिक सहायता तथा नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में उपयोगी जानकारियाँ प्रदान की गयी।

प्रदर्शनी स्थल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर का स्टॉल

मेला आयोजन के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विधिक सेवा योजनाओं का प्रचार–प्रसार

State Review consultation on Juvenile Justice

TOWARDS CARE AND PROTECTION OF EVERY CHILD

28th SEPTEMBER, 2019

RCPV, NARONHA ACADEMY OF ADMINISTRATION, BHOPAL

Motivating the Stakeholders

Standing United- for the cause of Children

On 28th September 2019, State Review Consultation on Juvenile Justice, 'Towards Care and Protection of Every Child in Madhya Pradesh' was held at RCPV Naronha Academy of Administration, Bhopal

The State Review Consultation was inaugurated by Hon'ble Shri Justice J. K. Maheshwari, Judge,High Court of MP & Chair of HC-JJC,in the presence of other stake holders.

The Consultation was structured into 4 thematic areas

1. Alternate Care & Family Strengthening, De-Institutionalization & After Care.
2. Quality Institutional Care Services.
3. Child Protection Work force Development & Psycho-Social Support for Children.
4. Quality Monitoring & Data management.

We strive to work in all above areas for the 'Best Interest of Children' through regular monitoring, mentoring programmes, training stakeholders and co-ordination with concern departments.

अशोका गार्डन इलाके में रहने वाली 36 वर्षीय ट्रांसजेण्डर संजना सिंह को इसी साल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल में पैरालीगल वालेंटियर्स (पी.एल.व्ही.) बनाया गया है। यही नहीं उन्हें लोक अदालत में खण्डपीठ का भी सदस्य बनाया गया है। मार्च में आयोजित लोक अदालत में संजना द्वारा खण्डपीठ की सदस्य के रूप में प्रकरणों की सुनवाई भी की गई।

थर्डजेण्डर पैरालीगल वालेंटियर की सामाजिक न्याय विभाग में नियुक्ति

पिछले 15 सालों से राजधानी भोपाल में सोशल वर्क से जुड़ी एवं जिला प्राधिकरण भोपाल में पी.एलव्ही के रूप में कार्यरत् ट्रांसजेण्डर संजना सिंह को म.प्र. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने बतौर निज सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदेश में यह पहला अवसर है जब सरकारी विभाग में किसी ट्रांसजेण्डर को नौकरी पर रखा गया है। श्री तिवारी स्वयं देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस ऑफिसर है। म.प्र.के विभिन्न जिलों में कलेक्टर रहने के बाद वर्तमान में वे यहां डायरेक्टर के पद पर पदस्थ है। उनके द्वारा बताया गया कि समाज को एक नई शुरूआत करनी होगी। मैं अपने विभाग में आउटसोर्स के कर्मचारी के रूप में ट्रांसजेण्डर को मौका दूंगा ताकि उन्हें सम्मान एवं गरिमापूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करने हेतु एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले।

भिन्न किन्तु अलग नहीं – ''हम साथ साथ हैं''

Citizen initiative and Legal Services Outreach

In the early hours of a working day in October 2019 a small huddled and bleeding figure squatted behind the bus stand facing Science College. People walked to and fro hastily, oblivious of the pain, anguish and isolation which accompanies an amputated leg and compounded with the fear of unknown spaces.

Spotting him by a member of the Legal Services, immediate action was taken and with the help of a community of students from the adjacent Science College and DLSA Jabalpur, he was put on an ambulance and transported to Victoria Hospital where treatment was swift and effective.

Who was this man? What duty did we have towards him? Was he our responsibility? While the grapevines circulated that the same person was visible since last couple of days at the gates of a temple closeby, the incident also raises a pertinent question:

Why don't each one of us see the god within each person inside and outside our own selves and reach out to all such persons with compassion forthrightness and promptitude!

Science college grounds are a wonderful place for exercise, camps, chit-chats and NCC activities. Amidst the humdrum of activities, there was a huge scattering of plastic bags, chocolates paper and other such waste material. A lady in her 60's started the exercise of gently picking up such waste and putting them in bag. It took only a small request to the NCC Group to lend a hand and presto! The whole ground was cleaned in a matter of minutes.

Moral of the story is it takes only one to snow ball the cleaning campaign. Join hands and start! Certainly we shall soon be denizens of a cleaner, greener and healthier beautiful planet.

SUCCESS STORY

Lifting the Veil of Superstition- From Daagna to Sanjeevini

The soft warmth of my mother's body was my first experience of touch. Little did I then realise that the hot iron brand of "Dagna " ritual is also another touch- a touch shrouded in superstition, a touch which is an antithesis to the common belief that it alleviates pain and in fact is the cause of death of several young children like me in the age group of 1-6 years.

Between the kitchi-koo of toothless grandmas and chit chat of doting aunts, I graduated from a dorsal position to a vertical form but my health seemed to deteriorate. The placid gaze of my mother, a rare but precious sight between the veil that always covered her head, began to show signs of an unknown fear as children my age reached notable landmarks of growth. The "doctors" and priestmen of my tribe came hovering around with promises of a speedy recovery but the ultimate blow came in the shape of a man dressed strangely with a red hot iron rod.

My mother- oh where was she! As I whimpered under the shock of pain, I sighted my mother, head covered as usual but this time her eyes were averted. She could not face the sight of her first born whither like a flower below the blows of the red hot iron- the onslaught of the dagna pratha.

Dagna Pratha is a practise among certain tribal belts including District Umaria where children are branded with hot iron bars in order to cure them from diseases. Before the hot iron rod is pressed on the child's stomach an oil is placed on a skin around the navel. Children like me undergo immense pain and sufferings and in many cases death occurs due the infection caused.

I came to senses in an airy space which seemed nothing like the mud caked home of my birth. The veil on my mothers head had parted to give way to a gentle glow. The glow that comes with faith, trust and hope in recovery through good medical care. I came to learn that I was in a centre under the Nutrition Rehabilitation Centre and had been brought there under Operation "Sanjeevani" a campaign launched by the District administration Umaria and the Legal Services Institution to stop "Dagna Pratha."

The rest is for the record. Sanjeevani Campaign was launched all across district Umaria and for its effective implementation, district level and block level camps were organized jointly by the MPSLSA and the district administration.

SUCCESS STORY

Methodology Adopted:

- Identification of children in the age group of 0 to 6 by Anganwadis.
- Enlisting services of the Education Department and Village Development Agencies.
- Issuance of prohibitory injunction orders under Section 144 (1) of CrPC on 04.05.2019 by District Magistrate.
- Issuance of orders to take action against the persons involved in the practice under Section 107/116(3) CrPC by Superintendent of Police, District Umaria.
- Wide publicity of action taken reported through Newspapers, Legal Services Awareness Camps, Jan Chopal, Lok Kalyan Shivir etc. explaining that health can be restored through access to medical services joining people from different walks of life in the effort to get rid of superstitions.

A target oriented camp was organized on 28th of May 2019 in village Kudara of District Umaria jointly with MPSLSA and district administration, in presence of some officers from NALSA. While informing the villagers about the side effects of branding, the pain and inhuman suffering caused to children as a result of such a belief system at the same time a strong belief system in existing medical facilities at the doorstep was created. With effective results, Guardians of toddlers realised came to trust the medical system for the happy future of their children.

Follow up:

After starting the Sanjeevani Abhiyan, a single incident of branding a child came to light in the district in the month of May. After investigating the complaint received in the Gram panchayat Jamunara, Janpad panchayat Manpur, it was revealed that the newborn girl Ashwani Baiga had been branded with a iron bar by Gowana Bai Chaudhary. After this, on 10 May 2019, an FIR was lodged against Gowana Chaudhary under Section 188 of the Indian Penal Code in the police station Manpur.

The responsibility of monitoring the Sanjeevani campaign has been entrusted to the Department of Women and Child Development. In every village a register is being maintained in which every child from 0-6 years has been registered. The Anganbadi worker, Asha worker, Gram Panchayat sachiv and Sarpanch of the village and the PLV from Legal Services Institution make sure that no case of branding of the registered children reappears.

Outcome:

In the year 2018-19, out of 60 thousand 602 children registered in 763 Anganbadi Centers of the district, 673 children were reported to be filed. As a result of all the measures taken under operation Sanjeevani, no such case of branding has been registered since the month of May.

Today Umaria is free from the curse of Dagna pratha and I am hale and hearty. Had it not been for the timely intervention of Legal Services Institution and the District Administration, the denizens of my Villages and District with 80% rural population and 42% under forest cover would have continued under influence of treatment by quacks. We now are equipped to join the human race and spread awareness to remove these in-human practices and strive for a healthy environment.

पर्यावरण संरक्षण हेतु सार्थक पहल

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थानीय अशासकीय संस्था सचखंड सेवा समिति बैतूल के सहयोग से जिला मुख्यालय बैतूल में स्थित ऐतिहासिक महत्व के सरोवरों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ सरोवर अभियान की शुरूआत की गई, इसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के आगमन के एक दिवस पूर्व दिनांक 04.06.2019 को सुबह 7:00 बजे से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल एवं सचखंड सेवा समिति बैतूल के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ सरोवर अभियान की शुरूआत बडे तालाब से गई, जो कि जिला बैतूल की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका निर्माण सन् 1836 में किया गया था।

Water is Life

The land of village Umargohan situated to gentle slopes of Amarkantak birthplace of the serene Narmada River is very fertile. People live in harmony with each other but as sources of water had not been saved there has been a gradual scarcity of water in the village. The only pump installed had water for only one hour. There were long queues at the pump in the village requiring drinking water. There were often disputes about woman filling the water first.

Shashi a young woman living in the same village would get very upset everyday seeing the controversy erupt among women for water. She often persuaded these women not to dispute among themselves, but all of this was to no avail. She often prayed to her village deity to resolve the disputes.

On the morning of 30th May 2019, there was a dispute among women over the first water filling. On the same day a team of NALSA from Delhi, MPSLSA and DLSA Anuppur visited the village of Shashi.

All of the visiting officers gathered the people of the village and started a conversation about their legal rights and problems. The tribal women were seated at the front while the men were sitting at the back. The tribal women were more vocal than the men.

For Shashi, this opportunity was not less than a boon; she felt that the village god had heard her prayer.

As soon as she got the opportunity, Shashi stood up and spoke incessantly. She presented in her own words an illustrative description of the problem of drinking water in the village and the problems caused by it to the people of the village and the bitterness between them.

Members of the joint team discussed among them and felt that this problem had created unwarranted disputes between the villagers. All the members of team requested the Chairman DLSA Anuppur that he should coordinate with the district administration and make water arrangement.

After a continuous and regular follow up by the DLSA Anuppur the water problem was solved as there was an installation of 2 tanks having the storage capacity of 5000 litres each in the village. Also, bore wells were dug up in the village to access the underground water and there were setting up of pipelines throughout the village to facilitate the water supply.

Water Tanks with storage capacity of 5000 litres Setting up of pipelines in the village

Looking to the initiative of Shashi for the welfare of her village, she was inducted as a PLV with some basic training. Villagers were also guided on water conservation methods and how to prepare water harvesters.

After all this been done not only Shashi the whole village is HAPPY.

NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016

दिनांक 01.10.2018 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल के संयुक्त तत्वाधान में रेडक्रास सोसायटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, जबलपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला आयोजन का मुख्य उद्देश्य था, वृद्धजनों के खालीपन को दूर करना और उनकी उर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना, जिससे खाली समय में अकेलापन और उदासी उन्हें न घेरे बल्कि कोई रचनात्मक कार्य करके वे खुद को उपयोगी एवं सक्रिय समझे। इस रचनात्मकता से वे अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते है।

इस भावना को कार्य रूप में परिणित करने हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जेल जबलपुर से सहयोग लिया गया। जेल प्रशासन द्वारा एन.जी.ओ. की सहायता से दीपावली के दियों पर रंग करना सिखाया गया तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा रंग एवं दिये उपलब्ध कराये गये। इस कार्यशाला आयोजन पश्चात् वृद्धजनों द्वारा तैयार किये गये दियों को बाजार में बिक्री कर राशि वृद्धजनों को दी जायेगी।

अकेले नहीं हैं आप!

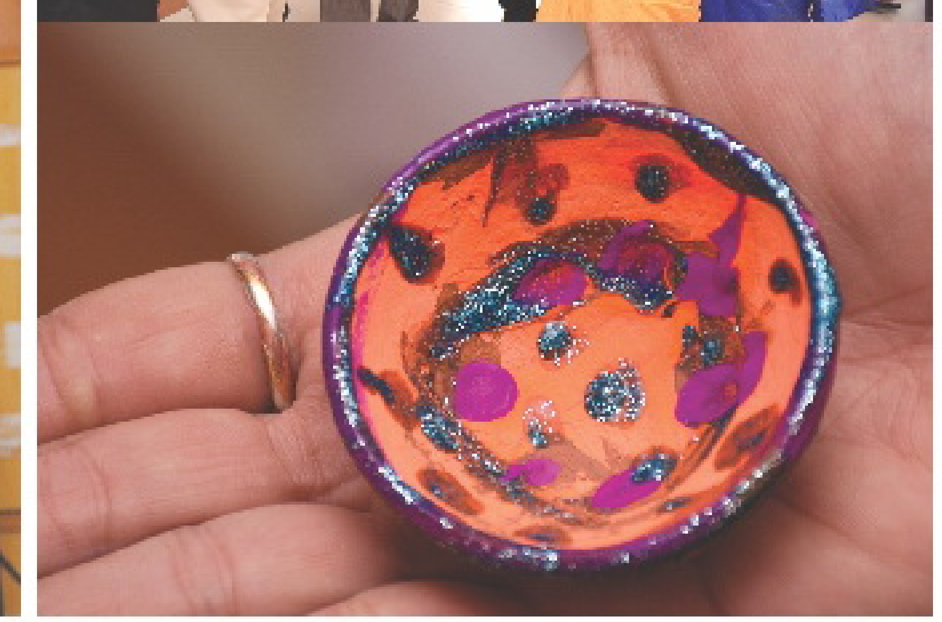

ट्रेन में मिले मानसिक दिव्यांग युवक का पुनर्वास

जिला प्राधिकरण शहडोल के द्वारा ट्रेन में मिले मानसिक रूप से दिव्यांग युवक को सेवा धाम अंबोदिया, उज्जैन में प्रवेश कराया गया। यह युवक न ही स्पष्ट बोल पा रहा था एवं न ही लिखकर अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा था। बाल कल्याण समिति द्वारा उम्र अधिक होने के कारण इस युवक को रखने में असमर्थता प्रकट की थी, उक्त तथ्य चाईल्ड लाईन के द्वारा जिला प्राधिकरण के सचिव श्री अनूप कुमार त्रिपाठी तक पहुंची। श्री त्रिपाठी द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग से उक्त मंदबुद्धि के संबंध में आवश्यक कदम उठाने हेतु संपर्क किया गया। जिसके पश्चात् युवक का मेडीकल परीक्षण करवाया जाकर उसे सेवाधाम अंबोदिया आश्रम, उज्जैन में प्रवेश दिलवाया गया, इस तरह जिला प्राधिकरण, शहडोल के प्रयासों से एक मंदबुद्धि युवक की पर्याप्त देख–रेख की व्यवस्था हुई।

ट्रेन में मिला मंदबुद्धि दिव्यांग

एडीजे, चाईल्ड लाईन, पुलिस एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास से की गई मदद

विजय मत, शहडोल। ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने चाईल्ड लाईन के 1098 नंबर पर कॉल कर एक लगभग 20 वर्ष के एक मंदबुद्धि दिव्यांग की जानकारी दी जो स्पष्ट रूप से न तो बोल पा रहा था न ही लिखकर अपनी बात स्पष्ट कर सकता था। चाईल्ड लाईन शहडोल द्वारा उस बालक को अपने पास लेते हुए इसकी जानकारी जी.आर.पी., आर.पी.एफ. को दी। चाईल्ड लाईन द्वारा बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष ले जाया गया। जिन्होंने बालक की उम्र लगभग 20 वर्ष होने से कोई भी आदेश देने से इंकार कर दिया गया। चाईल्ड लाईन के सदस्यों ने यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी तक पहुंचाई, जिस पर उन्होंने सामाजिक कल्याण विभाग के संचालक एस.के. चौधरी से संपर्क किया तथा उस बालक के कल्याण हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।

चाईल्ड लाईन को यह भी निर्देशित किया गया कि वह दिव्यांग के मिलने के बारे में थाना कोतवाली को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर बच्चे के [illegible] विभाग के माध्यम से उचित कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा की गई जिस पर उनके द्वारा उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। सामाजिक कल्याण विभाग के संचालक श्री चौधरी द्वारा विशेष प्रयास कर प्रबंधक सेवाधाम अंबोदिया उज्जैन से संपर्क कर बालक को अपने संरक्षण में प्राप्त कर सेवा धाम अंबोदिया में प्रवेश कराने का अनुरोध किया गया और प्राधिकरण को बताया गया। दिव्यांग का कुशाभाउ ठाकरे जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया उसके बाद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए.के. त्रिपाठी एवं सामाजिक कल्याण विभाग के संचालक एस.के. चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल से उस दिव्यांग को सेवाधाम अंबोदिया भेजने के लिए एक गार्ड की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया और इस प्रकार दिव्यांग को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से तथा विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के जिला विधिक सहायता अधिकारी बी.डी. दीक्षित के सक्रिय प्रयासों से सामाजिक न्याय विभाग एवं पुलिस विभाग से शीघ्रतापूर्वक सहयोग लेकर, सेवाधाम अंबोदिया उज्जैन पहुंचा दिया गया।

प्लास्टिक की थैली/पन्नी पर रोकथाम हेतु विशेष अभियान

One of the first conditions of happiness is that the link between man and nature shall not be broken."

—Leo Tolstoy

प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग मानव जीवन और पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम बाजारू सामग्री के परिवहन हेतु इसका उपयोग शॉपिंग बैग के रूप में अपनी सुविधा के लिये करते हैं परन्तु उनके गंभीर परिणामों को नजरअंदाज करते हैं जमीन पर फेंकी गई पन्नियों अथवा प्लास्टिक की थैलियो का पशुओं द्वारा उपभोग किया जाता है, जिससे उनमें पाचन संबंधी समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं और जो उनकी मृत्यु का कारण बनती हैं। यहाँ तक की पेड़ पोधो को भी इनसे होने वाली हानि से नही बचाया जा सकता। मिट्‌टी में प्लास्टिक में मिलने से हानिकारक रसायनों का उत्सर्जन होता है, जिससे ऐसे प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों को नुकसान जीवों को नुकसान पहुंचता है जो पौधों के जीवन पर निर्भर रहते हैं। प्लास्टिक बैग के उपयोग के पर्यावरणीय परिणामों को जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। हमारे वातावरण में प्लास्टिक के प्रभावों से बचाव हम सभी के लिये चुनौतीपूर्ण है,

अशोकनगर

उक्त तारतम्य में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के निर्देशानुसार जन सामान्य को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में सचेत करने के लिये म.प्र. के समस्त जिला प्राधिकरणों में एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पैरालीगल वालेंटियर्स के सहयोग से चलाये गये इस अभियान में आमजन को न सिर्फ प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया बल्कि उपचारात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए पॉलीथिन के वजन के बराबर वजन की कपड़े की थैलियां प्रदान की गई। भविष्य में भी यह अभियान प्रत्येक 15 दिवस में पुनः समस्त जिलों में चलाया जाएगा, जिससे आमजन में जागरूकता बढ़ेगी और धीरे–धीरे पॉलीथिन को हटाकर कपड़े की थैलियों का पुनः प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा

दतिया

(क्रमशः)

"Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty."
—John Ruskin

शिवपुरी

नीमच

रीवा

खण्डवा

(क्रमशः)

रायसेन

हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ

उज्जैन

होशंगाबाद

(क्रमशः)

प्लास्टिक की थैली/पन्नी पर रोकथाम हेतु विशेष अभियान

The ultimate test of man's conscience may be his willingness to sacrifice something today for future generations whose words of thanks will not be heard."

—Gaylord Nelson

भिंड

डिण्डौरी

झाबुआ

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संगठन की कार्यपद्धति को विकसित करना होता है, ताकि वे न केवल उन्हें दिये गये कार्यों को अच्छे ढंग से निष्पादित कर सकें, बल्कि उनमें मनोबल व उत्साह भी उच्चकोटि का हो सके।

इसी उद्देश्य के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु दिनांक 06.10.2018 को जबलपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ–साथ भविष्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में जानकारी दी गई। नित नवीन प्रकरणों के न्यायालयों के संस्थापन से बढ़ते मुकदमों के शीघ्र निराकरण एवं पक्षकारों को न्याय सुलभ कराने की वैकल्पिक तकनीक जैसे लोक अदालत तथा मध्यस्थता आदि में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी बना दिया है।

जिला विधिक सहायता अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकी

पैरालीगल वालेंटियर्स / अधिवक्तागण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

समाज को जागरूक करने एवं आमजन की विधिक समस्याओं में सहायता करने और शासन की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनायें जैसे निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, मध्यस्थता योजना, विभिन्न लोक अदालत योजना, विधिक साक्षरता शिविर योजना, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, लीगल एड क्लीनिक, विभिन्न कानूनी प्रावधानों, फैमिली लॉ, संपत्ति विधि, महिलाओं से संबंधित कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

गुना

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

प्रशिक्षण कार्यक्रम

कौशल उन्नयन की दिशा में सार्थक कदम

देवास

दमोह

दमोह

शिवपुरी

खुले संवाद से मिटें विवाद

Legal aid activities in NLIU ,Bhopal

In keeping with the principles envisaged in Section 4 (k) of the Legal Services Authorities Act 1987. Legal Services Clinics have two main objects.

A. To improve the clinical legal skills of the students;

B. To inculcate an attitude amongst the students to provide effective legal services to the poor and marginalized people.

The Legal Services Clinics NLIU has made giant strides and a brief showcase of their activities is reflected below:

Legal Aid Clinic NLIU, Bhopal - Health Check-up Camp Inaugural Session

Let's walk the talk - Plantation drive

Flocking to the Clinic

Action Time: Legal Aid Clinic at NLIU, Bhopal

Programmes organised on Child Labour

बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विशेषकर बालश्रम की रोकथाम की दशा में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दृढ़ संकल्पित है। इस तारतम्य में 5 सितम्बर 2019 को बालश्रम से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रक्रिया एवं विभिन्न योजनाओं हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

Workshop on Child labour at Jabalpur

Brainstorming Sessions

Connecting the Dots

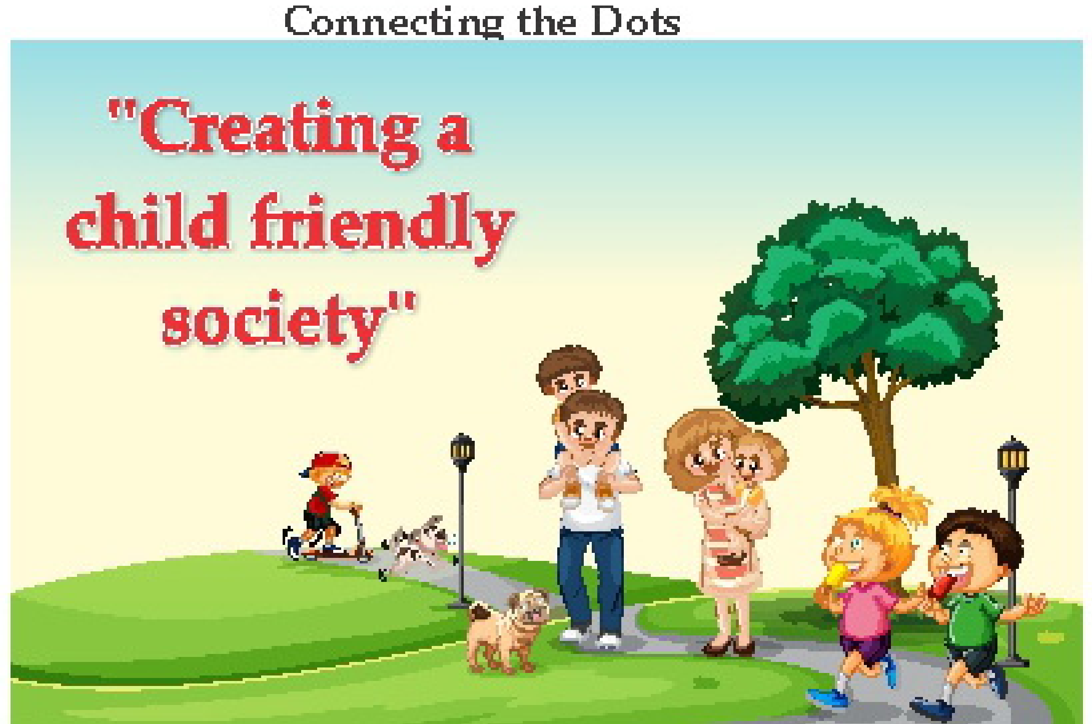

नालसा (आपदा पीड़ितों के लिये विधिक सेवाऐं) योजना 2010 का दिलाया गया लाभ

जिला प्राधिकरण धार द्वारा ग्राम निसरपुर तहसील कुक्षी, जिला–धार में नर्मदा नदी के बाढ़ पीड़ितों को पैरालीगल वालेंटियर्स की सहायता से दिनांक 11.08.2019 से दिनांक 12.08.2019 तक 02 दिवसीय विशेष सहायता अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 165 बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाई गई।

जिला प्राधिकरण द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों से संपर्क एवं समन्वय कर तत्काल सहायता सुनिश्चित की गई। बाढ़ पीड़ितों को अस्थाई आवास – टीन शेड एवं सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के कार्य का पर्यवेक्षण किया गया। भोजन, दवाईयों, पेयजल एवं अन्य राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। दवा एवं पाउडर का छिड़काव कर महामारी रोकने के त्वरित प्रयास किये गये। कुल 1699 परिवार विस्थापित हुये हैं जिनमें से 165 आपदा पीड़ितों को जिला प्राधिकरण धार द्वारा लाभान्वित किया गया एवं उनके पुनर्वास का कार्य अभी भी जारी है।

आपदा पीड़ितों का पुनर्वास – जिला प्राधिकरण, धार के प्रयास

बाढ़ पीड़ितों को प्रदान की गई आवश्यक सहायता

जिला प्राधिकरण बड़वानी द्वारा सरदार सरोवर बांध का पानी गांवों में आने से आयी बाढ़ के कारण प्रभावित व्यक्तियों को नालसा (आपदा पीड़ितों के लिये विधिक सेवाऐं) योजना, 2010 के अंतर्गत लाभ दिलाया गया। इस हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को नियुक्त किया गया। जिन्होनें गांव–गांव दौरा करके पीड़ितो की पहचान की और उन्हें पुनर्वासित करने के लिये आवेदन प्राप्त किये। इन पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविर जैसे सुरक्षित स्थलों पर पहुँचाया गया। जिला प्राधिकरण द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संपर्क करके बाढ़ पीड़ितों को भोजन, आवास एवं स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई। विस्थापितों के पुनर्वास हेतु वर्तमान में भी प्रयास जारी हैं। जिनमें उनके शासन स्तर पर लंबित दावों का निपटारा कराया जा रहा है।

आपदा पीड़ितों के पुनर्वास में सहायता करते हुये जिला प्राधिकरण – बड़वानी के पैरालीगल वालेंटियर्स

आपदा प्रबंधन के संबंध में आयोजित विशेष विधिक साक्षरता शिविर

तहसील – सरदारपुर, जिला धार

जिला प्राधिकरण धार द्वारा आपदा प्रबंधन से बचाव एवं मॉक ड्रिल के संबंध में विशेष विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन जिला मुख्यालय धार एवं तहसील मुख्यालय सरदारपुर, बदनावर, धरमपुरी, मनावर और कुक्षी में किया गया। उक्त शिविर में प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा के संबंध में आमजन को विस्तृत जानकारी दी गई।

तहसील – बदनावर, जिला धार

जिला न्यायालय परिसर धार

तहसील – मनावर, धार

जिला न्यायालय परिसर धार

नेशनल लोक अदालत ने एक किया परिवार

कहानी महू जिले की है जहां एक दंपत्ति खुशी–खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी शादी को ग्रहण तब लग गया जब पति शराब के व्यसन का आदी हो गया। घर में आये दिन झगड़े होने लगे शराब की लत से परिवार की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी। तंग आकर पत्नी बच्ची को लेकर अपने मायके वापस चली गयी। पति के कई बार बुलाने पर भी पत्नि वापस नहीं आई और उसने यह शर्त रखी कि पति की शराब की आदत छोड़ने के पश्चात् वह घर वापस आयेगी। पत्नी को मनाने के सारे प्रयास विफल होने पर पति ने न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण को माननीय न्यायाधीश महोदया ने देखा और पाया कि ये मामला आपसी सहमति से निराकृत हो सकता है और उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखकर दोनों पक्षकारों को चर्चा के लिए सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र में निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षकार उपस्थित हुये। विद्वान न्यायाधीश ने पति को शराब की लत के दुष्परिणामों के बारे में बताया और कहा कि यह लत तुम्हारे स्वास्थ्य, भविष्य और परिवार सब तबाह कर देगी। न्यायाधीश महोदय की समझाइश से पति की आंखें खुल गयी और उसने शराब छोड़कर अपनी पत्नी और बच्ची की संपूर्ण देखभाल करने का वादा किया। इस तरह लोक अदालत में पारस्परिक सहमति से विवाद का निराकरण हुआ और एक परिवार टूटने से बच गया।

लोक अदालत ने रोपा नई उम्मीद का पौधा

यह घटना खंडवा जिले की है जहां एक दंपत्ति के बीच चल रहे 08 साल लंबे विवाद को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया गया। पति–पत्नि के मध्य दहेज संबंधी मांग एवं घरेलू विवाद था। पति पत्नि को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। पुत्र की पैदाइश के बाद पत्नि पर पुत्र के देखभाल की जिम्मेदारी भी आ गई। इस जिम्मेदारी में पति और उसके परिवारजनों द्वारा कोई हाथ न बंटाने से परेशान पत्नि अपने मायके वापस चली गई और न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। 08 साल लंबे विवाद के बाद भी पति–पत्नि की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। विद्वान न्यायाधीश द्वारा मामले में सुलह की संभावना देखते हुए दोनों पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र प्राप्त होने पर दंपत्ति निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हुए जहां पर न्यायाधीश महोदय द्वारा उन्हें पृथक–पृथक रूप से एवं संयुक्त रूप से भी समझाईश दी गई। समझाइश के बाद दोनों पति–पत्नि साथ में रहने के लिए राजी हो गये। पति ने कहा कि वह अपनी पत्नि की आगे से अच्छी देखभाल करेगा और उसे कभी भी प्रताड़ित नहीं करेगा। दोनों ने खुशी–खुशी नये सिरे से जीवन प्रारंभ करने के लिए रवाना होने से पहले माननीय न्यायाधीश महोदय से आर्शीवाद प्राप्त किये। एवं एक–दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाद का निपटारा होने के यादगार स्वरूप भेट किए गए फलदार पौधे का वृक्षारोपण करने एवं उसकी देखभाल करने का भी दंपत्ति ने प्रण लिया। इस प्रकार लोक अदालत के माध्यम से एक टूटते हुए परिवार को पुनः एक करने का सफल प्रयास किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों की झलकियां (A-Z)

बूंद-बूंद से घट भरे, अक्षर-अक्षर ज्ञान।
जीवन मूल्य अमूल्य है, काम करें निष्काम ।।

धीरज, साहस और श्रम, सच्चे मित्र समान ।
ये तीनों साथ है, तो बनते बिगड़े काम ।।

अलीराजपुर

न्यायिक पर्व– नेशनल लोक अदालत

अनूपपुर

आदिवासी हितों का संरक्षण – राज्य प्राधिकरण की पहल

मेगा शिविर के जरिए लाभान्वित

Contd....

अशोकनगर

नारी शक्ति का सम्मान – नारी सशक्तिकरण शिविर आयोजन

बालाघाट

विधिक साक्षरता शिविर एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम

भिण्ड

मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु शिविर

Contd....

भोपाल

एल.जी.बी.टी. समुदाय हेतु जागरूकता शिविर – **''भिन्न किन्तु अलग नहीं''**

बुरहानपुर

विधिक साक्षरता के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण

छतरपुर

डोर टू डोर कंपेन करते हुए पी.एल.व्ही., मध्यस्थता – न किसी की जीत न किसी की हार

इंदौर

डोर टू डोर कंपेन करते हुए पी.एल.व्ही., मध्यस्थता – न किसी की जीत न किसी की हार

Contd....

छिंदवाडा

न्याय आपके द्वार– आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रयास

दमोह

बाल अधिकार संरक्षण पर शिविर आयोजन

दतिया

न्याय की पहुंच – अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक

Contd....

देवास

सशक्त नारी – सशक्त समाज

धार

जेल शिविर आयोजन एवं तम्बाकू निषेध दिवस आयोजन

डिण्डौरी

नेशनल लोक अदालत आयोजन एवं शिक्षा के मूल अधिकार का प्रवर्तन

Contd....

गुना

विधिक अधिकारों का शिविर के माध्यम से प्रवर्तन

हरदा

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।

होशंगाबाद

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम एवं तम्बाकू निषेध दिवस आयोजन

Contd....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों की झलकियां (A-Z)

जबलपुर

पर्यावरण बचायें, पेड लगायें

झाबुआ

अधिवक्ता कौशल संवर्धन कार्यक्रम एवं आदिवासियों के अधिकारों का संवर्धन

कटनी

न किसी की जीत न किसी की हार – लोक अदालत

Contd....

खण्डवा

जेल में बंदियों के साथ रक्षाबंधन आयोजन एवं नुक्कड नाटक के माध्यम से जागरूकता

मण्डला

सुरक्षित होगी बालिका तभी सुदृढ होगा समाज

मण्डलेश्वर

श्रमिकों एवं बंदियों के अधिकारों का प्रवर्तन

मंदसौर

कानूनी सहायता आपका अधिकार है

मुरैना

लोक अदालत एवं साक्षरता शिविर आयोजन

नरसिंहपुर

महिलाओं के अधिकारों का प्रवर्तन एवं बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण

नीमच

हर कदम में आपके साथ – विधिक सेवा प्राधिकरण

पन्ना

सुरक्षित बालक – सुरक्षित कल

रायसेन

आगे आयें लाभ उठायें–साक्षरता के कदम

जिला प्राधिकरणों की गतिविधियों की झलकियां (A-Z)

राजगढ़

न्याय की ज्योति से सद्भाव बढ़ायें

रतलाम

ज्ञान के प्रकाश से अन्याय का अंधेरा मिटता है

रीवा

बंदियो के अधिकारों का प्रवर्तन एवं बाल संप्रेषण गृह निरीक्षण

सागर

न्यायदान में शासन का सहयोग

सतना

विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से जन जागृति

सीहोर

विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा – लोक अदालत

जिला प्राधिकरणों की गतिविधियों की झलकियां (A-Z)

सिवनी

विधिक ज्ञान से आमजन को नई दिशा

शहडोल

वृद्धजन एवं बालकों के अधिकारों का प्रवर्तन

शाजापुर

सब पढे – सब बढे

श्योपुर

जागरूकता शिविर एवं लोक अदालत आयोजन

शिवपुरी

विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से आमजन में विधिक ज्ञान का प्रसार

सीधी

बाल अधिकारों पर आयोजित कार्यशाला

सिंगरौली

विधिक ज्ञान का प्रसार करें, सबको न्याय प्रदान करें

टीकमगढ़

पॉक्सो एक्ट पर साक्षरता शिविर एवं आपसी समझौते से विवादों का निपटारा

उज्जैन

नुक्कड नाटक द्वारा जागरूकता अभियान

उमरिया

संजीवनी अभियान – दागना प्रथा के अभिशाप से मुक्ति

विदिशा

थर्ड जेंडर एवं बालिकाओं के संरक्षण हेतु जागरूकता शिविर

समस्या है तो समाधान है!

विधिक सेवा के लिए बढ़ाओ हाथ, पाओ सुख शांति का हाथ।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

DOOR TO DOOR CAMPAIGNS

TRAINING PROGRAMMES CONDUCTED BY SLSAs/DLSAs etc.
From Oct. 2018 to Sep. 2019

S. No.	Training programme conducted	Type of programme	No. of training programmes conducted	Duration of the programme	No. of Participants
1	Panel Lawyers	Induction Program/ Basic Training/ Refresher Program	49	1 day	1905
2	Para-Legal Volunteers (PLVs)	Induction Program/ Basic Training/ Refresher Program/ Orientation Program	107	1 to 4 days	4567
3	Others (Pl. specify)	JJB Panel Lawyer Training/ Mediator Training/ Potential Training Mediation	10	1 day	459

REPORT OF THE LEGAL SERVICES CLINICS
From Oct. 2018 to Sep. 2019

			Villages	Community Centres	Courts	jails	JJB	Others	Total
1(a)	No. of Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centres:	70	529	172	70	107	46	288	**1282**
(d)	No. of persons visited the Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centres:	**5259**	**24368**	**800**	**6612**	**9497**	**2520**	**21701**	**70757**

(e)	No. of persons provided assistance in Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centres	**4985**	**24187**	**574**	**6986**	**6204**	**1958**	**20326**	**65220**

Disposals and Beneficiaries under various
Lok Adalats
From Oct. 2018 to Sep. 2019

S. No.	Types of Lok Adalat	No.of Lok Adalat Held on	Total Taken Up Cases	Total Disposed off Cases	Total Benefited Person	Total Settlement amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1	National Lok Adalat (as per direction of NALSA)	4	1934709	218497	318458	9154168488
2	Permanent and Continuous Lok Adalat (u/s 19)	584	24368	6154	120073	120963791
3	Permanent Lok Adalat for Public Utilities Services (u/s 22 B)	240	6029	400	546	181390
4	MNREGA Lok Adalat	35	326	326	528	1089364
5	Jail Lok Adalat	205	1834	269	528	-
6	Mobile/Field Lok Adalat	242	1800	514	897	2155621

7	Special Lok Adalat (for Special Subject/Matters)	0	0	0	0	0
Total		**1182**	**1310**	**1969066**	**226160**	**441030**
Note: - Cases settled through Plea-Bargaining Process		-	-	200	163	134

Mediation Report

From Oct. 2018 to Sep. 2019

Opening balance (A)	No. of cases referred (B)	Total No. of Cases (A+B)	Settled Cases (C)	Unsuccessful Cases (D)	Not Started (E)	Total No. of Pending cases	Total No. of Connected Cases	No. of mediation awareness camp
5,439	70,705	76,144	21,620	37,637	10,384	6,503	1,400	1679

LEGAL LITERACY/LEGAL AWARENESS CAMPS/PROGRAMMES

(including Seminars, workshops, debates etc.) Month of

	Mode/place of awareness programme	No. of programme held	No. of Persons attended
1	School/College/university	2912	220667
2	Village/community Centre	3796	253158
3	Jail/other custodial home	2085	179229
4	Slum and labour colonies	271	13952
5	Melas/ Exhibitions	75	6430
6	Radio	0	0
7	Community Radio	0	0
8	TV	20	150
9	Others (Pl. specify)	4106	194290
Total		**13265**	**867876**

LEGAL SERVICES BENEFICIARIES

From Oct. 2018 to Sep. 2019

S. No.	Categories	Providing Panel Advocate	Advice/ Counselling	Other Services (Pl Specify)	Total
1	Scheduled Caste	1138	26919	13	**28070**
2	Scheduled Tribe	1086	27626	41	**28753**
3	Women	2839	43570	0	**46409**
4	Children	1737	19870	0	**21607**
5	In Custody	6700	32409	26	**39135**
6	Persons With disability	32	241	0	**273**
7	Industrial Workmen	2	3298	0	**3300**
8	Transgender	0	0	0	**0**
9	Victims of Trafficking in Human beings or begar	0	0	0	**0**
10	Vitims of Mass Disaster, Violence, Flood, Draught, Earthquake and Industrial Disaster	0	658	0	**658**
11	General (Persons Whose annual income does not exceed the Prescribed limit)	1775	16392	6	**18173**
12	Other	1687	18662	4	**20353**
Total		**16996**	**189645**	**90**	**206731**

लघु विधिक साक्षरता एवं मनरेगा साक्षरता शिविर योजनाओं की जानकारी

	शिविर संख्या		कुल लाभान्वित व्यक्ति
	जिला प्राधिकरण	तहसील वि.से.स.	
लघु विधिक साक्ष. शि.	313	224	**24465**
मनरेगा विधिक सा. शि.	151	81	**16025**

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना की जानकारी

अधिवक्ता को सौंपे गये प्रकरण					लाभान्वित व्यक्ति					व्यय राशि
अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग	अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग	
410	505	836	489	**2240**	1042	492	4829	492	**6855**	**508171**

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना की जानकारी

निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या					माह की बैठक संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग	अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग		
128	132	209	77	**546**	187	69	286	93	**635**	210	202

जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना

निराकृत आवेदन पत्र					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या				
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total
1491	1300	2452	1630	**6873**	1734	1520	3190	1719	**8163**

लीगल एड क्लीनिक योजना

निराकृत आवेदन पत्र					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या				
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total
4045	4221	6778	4605	**19649**	4334	4545	7679	5381	**21939**

श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ इकाई

निराकृत आवेदन पत्र					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या				
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total
19	3	29	2	**53**	16	3	26	1	**46**

महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

निराकृत आवेदन पत्र					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या				
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total
208	96	428	561	**273**	178	87	390	437	**1092**

NALSA CAMP DETAILS

October 2018 to September 2019

S.N.	Scheme Name	Camps held	Total Benificiaris Persons
1	NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016	804	47148
2	NALSA (Legal Services to Disaster Victims Through Legal Services Authorities) Schemes, 2010	439	28755
3	NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015	597	50826
4	NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganised Sector) Scheme, 2015	537	37751
5	NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015	1119	106197
6	NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015	538	43511
7	NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Scheme) Scheme, 2015	679	46364
8	NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015	629	48164
9	NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015	696	49881
10	NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme, 2016	609	45429
	Total	**6647**	**504026**

सोमवार 3 दिसम्बर 2018 (2)

छात्र-छात्राओं को दी समान न्याय एवं नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी

अनूपपुर।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला अनूपपुर न्यायाधीश रवि कुमार नायक के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखौरा में गत दिनों विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव/ अपर जिला न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 राजेन्द्रग्राम सीताशरण यादव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे शामिल हुए। शिविर के दौरान जीतेन्द्र मोहन धुर्वे ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संविधान के अनुच्छेद 39ए में उल्लेखित समान न्याय एवं नि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी न होना बचाव नहीं है। ... छात्राओं को अवगत कराया और कहा कि कोई भी व्यक्ति उन्हें अनावश्यक परेशान करता है तो इसका विरोध करें और अपने परिजनों, शिक्षकों को बताएं। साथ ही पुलिस को भी सूचित करें। न्यायाधीश सीताशरण यादव ने बच्चों को उनके लिए बनाए गए कानून के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में बताया। उन्होंने मध्यस्थता योजना के लाभ से उपस्थित बच्चों को अवगत कराया तथा 8 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जिन प्रकरणों का निराकरण संभव है उनके बारे में बताते हुए अपने परिजनों व संबंधियों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण कराने की बात कही। सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री त्रिपाठी ने बच्चों को ...

शुक्रवार 10 मई 2019 (2)

योजना का लक्ष्य जनजातियों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना : डॉ.जैन

इंगांराजवि में विधिक सेवा योजना शिविर सम्पन्न

अनूपपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकटंक में गुरुवार को आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना विषय पर विधिक साक्षरता,जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ... को सुनिश्चित करना ही न्याय तक पहुंच की अपने तमाम अर्थों में अधिकारों तक पहुंच,लाभ,विधिक सहायता अन्य विधिक सेवाएं इत्यादि को सुगम बनाता है, ताकि संविधान के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एवं न्याय को सुनिश्चित करने के वचन का देश में जनजातियों द्वारा भी अर्थपूर्ण रूप से अनुभव कर सके। जैन ने भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद १४, १५,१६ एवं २१ के साथ-साथ सामाजिक न्याय, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के संबंध में भी जानकारी दी। कुलपति डॉ. टी.वी.कट्टीमनी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में धन्यवाद ज्ञापित किया। विधिक साक्षरता शिविर में राकेश सनोड़िया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ अनूपपुर, आरती रौनिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीष वर्ग-२ अनूपपुर, जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, प्रो०प्रसन्ना के०समल, प्रो० मनोकोंडा रविन्द्रनाथ, केनेडी भोमटे, ऋषि पाण्डेय,महेश साकेत,पीएचडी आयुश सोनी एवं विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

आपकी गरीबी आप को न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी: श्री धुर्वे

बच्चों ने जाना अपना अधिकार, विधिक सेवा व सलाह का आयोजन

प्राचार्य ने दिये बच्चों को संदेश

न्याय दिलाने में रुकावट नहीं

फीस प्राप्त करने का इकरार

नेशनल लोक अदालत का आज

कटनी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी अचल कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में 8 सितम्बर 2018 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10.30 बजे से होगा। लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश पालीवाल द्वारा किया जाएगा। उक्त अवसर पर समस्त खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी, सुलहकर्ता सदस्य एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।

गांधी जयंती पर आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं व सरंक्षण की दी जानकारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

आयोजन.. पेंटिंग का मूल्यांकन करते जला विधिक सहायता अधिकारी।

गांधी को बताया सत्य और निष्ठा की प्रतिमूर्ति

सद्भावना के साथ मनी बापू एवं शास्त्री की जयंती

जिला दृष्टिबाधित विशेष विद्यालय व पुनर्वास केंद्र में जिला विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

दिव्यांग बच्चों ने पूछे सवाल, न्यायाधीश ने दिए जवाब

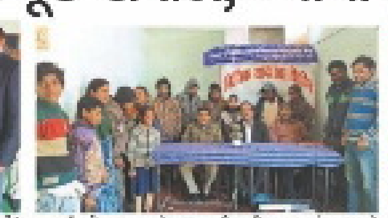

प्री-लिटिगेशन के 1142 व न्यायालय के 6939 प्रकरण रखे जाएंगे

कटनी. 14 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 1142 व न्यायालय के 6939 प्रकरणों को रखा जाएगा। मामले का निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने दी।

जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को हुई प्रेसवार्ता में प्राधिकरण सचिव संजय कस्तवार ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया के मार्गदर्शन में जिले की 22 खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह सुबह 10.30 बजे से शुरू होगा। इसमें नगर निगम, नगर पालिका व विद्युत के मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालतों में

बिजली चोरी के 80 लाख जुर्माने के मामले हुए वापस

कटनी. प्रदेश सरकार की योजना के तहत जिले भर में किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के खिलाफ बिजली विभाग द्वारा बनाए गए चोरी के प्रकरणों का निपटारा करने विशेष अदालत में प्रकरण प्रस्तुत कर उनका निराकरण कराया गया। जिला न्यायालय में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रामवृक्ष यादव की विशेष अदालत में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। अधीक्षण यंत्री पीके मिश्रा ने बताया कि दिनभर लगी विशेष अदालत में विभाग की ओर से दर्ज कराए गए प्रकरण सहमति से वापस लिए गए। जिसमें श्रमिकों के घरेलू 368 कनेक्शन और किसानों पर बनाए गए 804 प्रकरण विभाग ने अदालत में वापस लिए। प्रकरणों में घरेलू कनेक्शन में 20 लाख और किसानों के 60 लाख जुर्माना लगाया गया था, जिसे समाप्त कर दिया गया। मिश्रा ने

नेशनल लोक अदालत : जिला सत्र न्यायालय में हुआ आयोजन

आपसी सहमति बनी और हल हो गए वर्षों पुराने विवाद

जज ने पूछा झगड़ा करने के बाद पुलिस ने पकड़ा नहीं, आरोपी बोला पुलिस की गाड़ी की करता हूं सर्विसिंग

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

प्रकरण में बारे में आरोपी से पूछते जज। लोक अदालत में रजामंदी के साथ प्रकरण निपटाते पक्षकार।

कटनी. जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का हुआ। आपसी रजामंदी के साथ विवादों का समझौता कराने लोग अदालत पहुंचे। मामले का निपटारा कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेंद्र नकवाल ने एक आरोपी से पूछा कि एक साल से विवाद चल रहा है और पुलिस ने एक बार भी पकड़ा नहीं। इस पर आरोपी ने मुस्कुराते हुए कहा कि साहब मैं पुलिस की गाड़ी की सर्विसिंग करता हूं।

शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। सुबह 10.30 से शुरू हुई कार्रवाई शाम 5 बजे तक चली। इस बीच आपसी समझौते के साथ न्यायाधीशों ने लोगों प्रकरण निपटाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संजय कस्तवार ने बताया कि 22 खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें प्री-लिटिगेशन के 6535 प्रकरण रखे गए। 251 प्रकरणों को निपटारा हुआ। 286 लोग लाभावित हुए। 3922245 रुपये की अवार्ड राशि पारित हुई। इसी तरह से न्यायालयीन मामलों के 3542 प्रकरण रखे गए। 185 मामलों का निपटारा हुआ। 173 लोगों को लाभ मिला। 5678743 रुपये की अवार्ड राशि पारित हुई। इसके साथ ही कलेक्टर न्यायालय में 1218 प्रकरण रखे गए। इसमें 1205 मामलों का पटाक्षेप हुआ। जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी खंडपीठों का निरीक्षण किया।

न्यायाधीश ने स्कूल परिसर में छात्राओं के साथ किया पौधरोपण

सामाजिक संस्कृति के महत्व को समझने की अपील

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

आयोजन... छात्राओं व शिक्षकों के साथ पौधरोपण करते न्यायाधीश।

अनूपपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ. सुभाष कुमार जैन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर उपस्थित रहे।

शिविर के दौरान जिला न्यायाधीश श्री जैन ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में बताए गए हैं, उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उनका संवर्धन करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। उन्होंने उपस्थित छात्राओं से हमारे राष्ट्रीय पर्व के संबंध में प्रश्न भी किए एवं छात्र जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डाला। न्यायाधीश द्वारा स्कूल परिसर में पौधरोपण किया गया एवं अधिक से अधिक पौधे लगाने छात्राओं और शिक्षकों से अपील की। विधिक साक्षरता शिविर के दौरान राकेश सनोडिया व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अनूपपुर, जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, जिला विधिक सहायता अधिकारी, पीके लारिया प्राचार्य, अध्यापकगण बीएल पाठक, आरएन सोनी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दीपक ढहेरिया, ऋषि पांडेय, महेश साकेत सहित छात्राएं उपस्थित रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस

न्यायाधीश ने प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ लगाने की अपील

स्वसहायता भवन में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए न्यायाधीश भूपेन्द्र नकवाल

कार्यक्रम में मौजूद नगरवासी व नगरपालिका कर्मचारी

अनूपपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर डॉ. सुभाष कुमार जैन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। नगरपालिका परिषद अनूपपुर के स्वसहायता भवन में आयोजित शिविर में भूपेन्द्र नकवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यशवंत वर्मा मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनूपपुर उपस्थित रहे। शिविर के दौरान न्यायाधीश भूपेन्द्र नकवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पर्यावरण अधिनियमों एवं विधि से संबंधित जानकारी दी। साथ ही वर्तमान समय में पर्यावरण के बदलते स्वरूपों में पर्यावरण प्रदूषण को एक गंभीर एवं जटिल समस्या बताते हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। बदलते वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों की कटाई न करने एवं प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक पौधों का रोपण करने के साथ ही उनकी देखभाल करने की अधिक आवश्यकता है। अपने घरों के आसपास अधिक पौधों को लगाकर उसे सुरक्षित रखें। इससे वन क्षेत्र का विस्तार होगा, साथ ही पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मददगार भी साबित होगा। जब पर्यावरण संतुलित होगा तो बारिश भी समय पर होगी और जलसंकट जैसी समस्या से भी बचा जा सकेगा। उक्त विधिक साक्षरता शिविर के दौरान नगर पालिका परिषद अनूपपुर से अंशुमन सिंह एई, सुदीप गर्ग सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, शैव्या श्रीवास्तव सब इंजीनियर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कैनेडी भीमटे, ऋषि पांडेय, दीपक ढहेरिया, महेश साकेत एवं नगरपालिका परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे।

22 खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन

रेलवे कर्मचारी के परिजनों को बीमा कंपनी ने दिए 30 लाख रुपए

सत्र न्यायाधीश ने कहा: बिना दस्तावेज न चलाएं वाहन

विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े 308 व प्री-लिटिगेशन के 178 प्रकरणों का किया निपटारा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

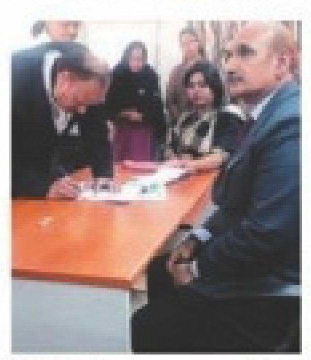
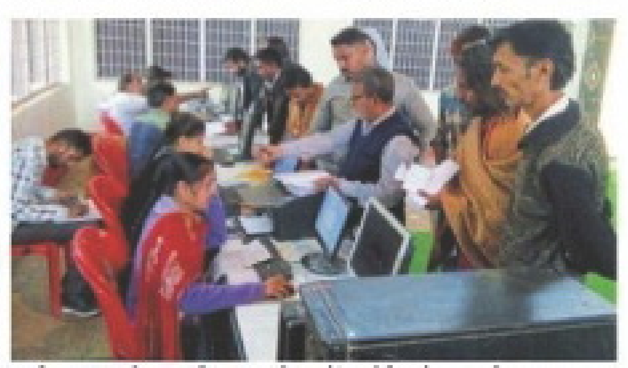
निपटारा... जिला सत्र न्यायालय में मामले का निपटारा कराते न्यायाधीश। नगर निगम में आयोजित नेशनल लोक अदालत।

कटनी. जिला एवं सत्र न्यायालय में इस साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत लगी। शनिवार को आयोजित अदालत में बीमा कंपनी से सड़क हादसे में मृत हुए रेलवे ... मजिस्ट्रेट राघवेंद्र पटेल की अदालत में पांच साल से चल रहे मानहानि के प्रकरण का आपसी ... बिजली, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा समेत पक्षकारों के आपसी राजीनामे से प्रकरणों का ... का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट व तहसील स्तरीय राजस्व व अन्य विभागों में 3116 ...

लोकअदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निपटें

न्यायाधीशों ने की अधिवक्ताओं के साथ बैठक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सीसीटीवी कैमरे से ...

कटनी. जिला एवं सत्र ... परिसर के भीतर व बा... होने वाली हर एक छोटी ... घटना कैमरे में कैद हो... पूरा न्यायालय परिसर ... लैस हो गया है। पिछले ... से कोर्ट परिसर में चल ... सीसीटीवी कैमरे लगाने ... पूरा हो गया है। उल्लेखनी... जिला एवं सत्र न्यायालय ... भीतर चोरी व गोली ... कई घटनाएं घटी थी ...

श्रीवास्तव, रामबे...

नेशनल लोक अदालत आज

कटनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल मोहनिया के मार्गदर्शन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह सुबह 10.30 बजे से शुरू होगी। इसके लिए ...

ANCHOR शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरौध में विधिक साक्षरता शिविर

विद्यार्थियों को बताए उनके मूल कर्त्तव्य और अधिकार

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

कटनी. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश व जिला सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में शुक्रवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरौध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ।

जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह ने छात्रों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की जानकारी देते हुए विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया व देशभर में कार्यरत तत्र स्तरीय कार्यालय के संबंध में जानकारी दी। मध्यस्थता, लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, लीगल एड क्लीनिक, पैरालीगल वालेंटियर्स, मूल कर्तव्य व मूल अधिकार में शिक्षा से संबंधित संशोधन की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े पैरालीगल वालेंटियर्स शासन से आई योजनाओं से ... को अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान ...

बिजली चोरी के 80 लाख जुर्माने के मामले हुए वापस

सरकार की योजना के ...पुर में किसानों और ...त्र के श्रमिकों के ...ी विभाग द्वारा बनाए ...करणों का निपटारा ...अदालत में प्रकरण ...ा निराकरण कराया ...ालय में पंचम अपर ...रामवृक्ष यादव की ... में विभागीय उपस्थिति रही। ... मिश्रा ने बताया

पत्रिका Sat, 01 December 2018
epaper.patrika.com/c/34480794

लोक अदालत में अधिक प्रकरण रखे बिजली कंपनी

जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन

संयुक्त परिवार का महत्व बताकर पांच टूटे परिवारों को जोड़ा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नेशनल लोक अदालत : जिला सत्र न्यायालय में हुआ आयोजन

आपसी सहमति बनी और हल हो गए वर्षों पुराने विवाद

जज ने पूछा झगड़ा करने के बाद पुलिस ने पकड़ा नहीं, आरोपी बोला पुलिस की गाड़ी की करता हूं सर्विसिंग

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

प्रकरण में बारे में आरोपी से पूछते जज। लोक अदालत में रजामंदी के साथ प्रकरण निपटाते पक्षकार।

कटनी. जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का हुआ। आपसी रजामंदी के साथ विवादों का समझौता कराने लोग अदालत पहुंचे। मामले का निपटारा करा रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक ... साहब में पुलिस की गाड़ी की सर्विसिंग करता हूं। ... चली। इस बीच आपसी समझौते के साथ न्यायाधीशों ने लोगों प्रकरण ... 6535 प्रकरण रखे गए। 251 प्रकरणों को निपटारा हुआ। 286 लोगों को लाभ मिला। 5678743 रुपये की अवार्ड राशि पारित हुई।

प्री-लिटिगेशन के 1142 व न्यायालय के 6939 प्रकरण रखे जाएंगे

कटनी. 14 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 1142 व न्यायालय के 6939 प्रकरणों को रखा जाएगा। मामले का निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने दी।

जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को हुई प्रेसवार्ता में ...

बिजली चोरी के मामलों के निराकरण पर रहेगा विशेष फोकस

21 खंडपीठों में होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

कटनी. बिजली चोरी के मामले में इस बार विशेष फोकस रहेगा। न्यायालय में चल रहे चोरी के प्रकरण का अधिक से अधिक निपटारा कराया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल ने दी। 8 सितंबर को जिले में होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्रकार वार्ता की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पालीवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह के साथ अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराया जाएगा। यह 21 खंडपीठों में होगी। इस दौरान न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र व रामवृक्ष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Giribala Singh
Member Secretary

D.K. Singh
Deputy Secretary

Arvind Shrivastava
Deputy Secretary

Poonam Tiwari
District Legal Aid Officer

Rajesh Saxena
District Legal Aid Officer

Manish Kaushik
District Legal Aid Officer

Madhya Pradesh State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001 (M.P.)

Phone: 0761-2678352, 2624131, Fax: 2678537 email : mplsajab@nic.in website: mpslsa.nic.in

ONLY FOR PRIVATE CIRCULATION

Designed & Printed by: GAPP, JBP, gagrc@hotmail.com, ISO-9001:2015, Mo. 09425151241